137 05-04-2013

उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल मूल्य/सीवर सीट एवं विच्छेदन नोटिस

जल संचय जीवन संचय

Badripur

प्रत्येक बीजक का भुगतान देय तिथि तक अवश्य कर दें अन्यथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा-72 (क)(ख) के अन्तर्गत बिल में दर्शायी गयी विच्छेदन अथवा उसके पश्चात-बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जल संयोजन विच्छेदित किया जा सकता है।

शिकायत निवारण केन्द्र टोल फ्री न0 1800 180 4100

ऑनलाईन भुगतान हेतू विभागीय वेवसाईट

http//ujs.uk.gov.in

बिल संख्या 2023/04/0741943

उपभोक्ता संख्या RP13BRB01J18A030741943

मांग संख्या 20058D1/635

नाम श्री रविन्द्र सिंह गुसाई / श्री हुकुम सिंह गुसाई

पता माजरी रोड समीप सूरी डेरी / बदरीपुर

योजना का नाम / संयोजन की श्रेणी		वितरण तिथि	बिल की अवधि से	तक	माह	बिल जमा करने की अंतिम तिथि	विच्छेदन तिथि
Low Head/DOM/15		10-08-2023	04 / 2023	07 / 2023	4	28-08-2023	30-08-2023
बिलिंग का प्रकार	वर्षिक मूल्यांक दर प्रतिमाह	टोंटी की संख्या/ दर प्रतिमाह	सीवर संयोजन/शीट संख्या दर प्रतिमाह	वर्तमान रीडिंग	पिछली रीडिंग	उपयुक्त जल (कुल रीडिंग)/ प्रतिमाह	अग्रिम
Ad						24000	
विवरण	वर्तमान मांग	मीटर किराया	बकाया	पूर्ण योग	छूट/अग्रिम	बिलम्ब शुल्क	शुद्ध राशि
जल मूल्य	1,515.00		2,870.00	4,385.00			
सीवर सीट							
डिस्आनर्ड चैक शुल्क							
अन्य देय							
पूर्ण योग	1,515.00		2,870.00	4,385.00	77.00	237.00	4,545.00

राजस्व वसूली नोटिस

इस नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर जल मूल्य का भुगतान आवश्यक रूप से करने का कष्ट करें अन्यथा उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 72(1) के अन्तर्गत जल संयोजन विच्छेदन को किया जायेगा।

नोट : न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमन्य नहीं होगी। अर्थात 10,000 ली0 अधिकतम प्रतिमाह पेय जल खपत के ऊपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अर्न्तगत भुगतान करने पर 10% की छूट अनुमन्य होगी। देयक का भुगतान नही करने की स्थिति में विलम्ब अवधि के लिए 1.5% मासिक दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। आई0 डी0 बी0 आई बैंक में भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

(शर्तो के लिए कृपया पीछे देखिए)

राजस्व अधीक्षक/बिल लिपिक

अधीशासी अभियन्ता/जलकल अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता

उत्तराखण्ड जल संस्थान